2019/00131

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 25/2019 (रसद अपील)

मैसर्स ओम प्रकाश शर्मा प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सोठाना, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 04.07.2019 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि 1000/– रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–

1. श्री महेश चन्द जैन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. .पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14-10-2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सोठाना तहसील विराटनगर जिला जयपुर का प्राधिकार धारक है। जिसे राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 तथा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा सक्षम अधिकारियों के आदेशों व निर्देशों के अनुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का विक्रय व वितरण यूनिट रजिस्टर तथा ई–सूची में दर्ज राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को डिजीटिल राशन कार्ड या आधार कार्डो पर पोश ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव द्वारा दिनांक 30.08.208 को प्रवर्तन निरीक्षक विराटनगर द्वारा दिनांक 31.08.2018 को अपीलार्थी को उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सोठाना एवं अस्थाई सम्बद्व उचित मूल्य दुकान गांव विराटनगर जिला जयपुर की जांच कर दिनांक 4.09.2018 को जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष पेश की। उक्त जांच रिपार्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी ने नोटिस संख्या 2106 दिनांक 6.9.2018 अपीलार्थी को भेजा जिसमें (1) वक्त निरीक्षणअपीलार्थी को दुकान से अटैच दुकान 17250 पर 180 लीटर केरोसीन भौतिक सत्यापन पर कम पाया गया तथा दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन

जिला कलक्टर
जयपुर

का वितरण होने के बावजूद भी मौके पर 576 लीटर उपलब्ध पाया गया तथा 180 लीटर केरोसीन अस्थाई अटैच दुकान विराटनगर का सोठाना स्थित दुकान पर मिला जिसे दिनांक31.08.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्त किया गया। विराटनगर स्थित दुकान का केरोसीन उचित मूल्य दुकान सोठाना पर खाली कराया गया तथा सोठाना स्थित उचित मूल्य की दुकान से उपभोक्ताओं को गेहूं देते समय पोस मशीन से निकाल लिया तथा उपलब्ध नही कराया गया (3)वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानों के अभिलेख (मशीन संख्या, स्टॉक रजिस्टर, बिल एवं एमपीआर) उपलब्ध नहीं कराये गये (4)पोश मशीन से उपभोक्ता पर्ची(बिल) जारी नहीं किये गये तथा उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध नहीं करवाये जाते (5) वितरण सामग्री का सत्यापन ग्राम सभा/वार्ड सभा में नहीं करवाया जाता है एवं (6)केरोसीन तेल दानों दुकानों पर आमद हो जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को नियमानुसार उपलब्ध नहीं कराया गया। जिला रसद अधिकारी ने बिना तथ्यों की जांच व जांच रिपोर्ट के अभाव में हीं आदेश संख्या 2060 दिनांक 1.09.2018 के द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदशों तक निलम्बित कर दिया। अपीलार्थी को ना तो दिनांक 30.08.2018, 31.08.2018 व 2.9.2018 की प्रति दी गई और ना ही रिपोर्ट 4.9.2019 जिसको आधार मानकर कारण बताओ नोटिस जारी किया, की प्रति दी गई। अपीलाथी द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस को गलत मानते हुये दिनांक 29.5.2018 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट किया कि–निरीक्षणकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.08.2018 में माना है कि गांव विराटनगर वार्ड नम्बर 1, 5, 6, 15, 20 की अस्थाई सम्बद्व उचित मूल्य दुकान का 180 लीटर केरोसीन तेल ग्राम सोठाना तहसील विराटनगर की मूल दूकान पर उपलब्ध है तथा विराटनगर की पोश मशीन संख्या 17520 में स्टॉक में दर्शाया हुआ था। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक बोर्ड व मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन नियमित रूप से किया जाता है। स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड दुकान के बाहर दीवार पर पेन्ट कराया हुआ है। जिस पर चौक से वांछित सूचनायें प्रदर्शित की हुई थी। जांच अधिकारी ने न तो नोटिस बोर्ड जब्त किया न ही किसी तकनीकी प्रकिया से उसका साक्ष्य प्राप्त कर, उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत सोठाना के उपभोक्ता दुकान पर गेहूं प्राप्त करने हेतु आये थे, उनकी जानकारी में आया कि दुकान पर केरोसीन भी उपलब्ध है। तो उनके द्वारा गेहूं के साथ साथ केरोसीन उपलब्ध कराने की मांग की गई। उपभोक्ता गेहूं का कट्टा लेकर आये थे, परन्तु केरोसीन का पात्र उस समय अपने साथ नहीं लाने के कारण उपभोक्ताओं की मांग व जिद तथा सतर्कता समिति के निर्देशों व उनकी आपूर्ति स्थिति निर्देशों को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ताओं को 507 लीटर केरोसीन देने की पोस मशीन में प्रविष्टी की गई। जिसकी पर्ची निकाल कर उसी समय संबंधित उपभोक्ताओं को दे दी गई थी। जिस देय सामग्री की प्रविष्टि पोस मशीन में होती है। उसकी सूचना उसी समय उपभोक्ता को जरिये एसएमएस मोबाईल पर प्राप्त हो जाती है। उपभोक्ता अपनी सुविधा नुसार अपना केरोसीन दुकान से बाद में ले जाते है। उन्हें यह सुविधा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर आपसी सहमती से है। निरीक्षणकर्ताओं को भी मजमे आम में उपभोक्ताओं द्वारा यह कथन किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति जबाब के साथ संलग्न की गई थी। उपभोक्ता अशोक कुमार, मदन लाल, मालीराम, भौरीलाल, शम्भूदयाल व मूलचन्द आदि ने अपने पुलिस बयान में उक्त कथन की ताईद की है, उसकी प्रमाणित प्रति भी संलग्न की गई। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के शपथ पत्र भी संलग्न किये

जिला कलक्टर जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

लेते समय करा लेते है। इससे स्पष्ट है कि 507 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं का ही था। जो कि पोस मशीन के माध्यम से वितरण हो चुका था, परन्तु भौतिक रूप से उनके द्वारा उठाव बाद में किया जाना था इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की इसमें कोई बदनियति व दुर्भावना नहीं थी। ग्राम विराटनगर के वार्ड नम्बर 1, 5, 6, 15 व 20 अस्थाई सम्बद्ध दुकान का केरोसीन मैसर्स जयपुर आयल ट्रेडर्स के वाहन चालक द्वारा दिनांक 25.08.2018 को ग्राम सोठाना अपीलार्थी की दुकान पर ही तहसील विराटनगर की उक्त दुकान जो कि अस्थाई रूप से सम्बद्ध थी, पर थोक विक्रेता से आपूर्ति किया। अपीलार्थी की इसमें कोई गलती बदनियती तथा दुर्भावना नही थी। उक्त दुकान का केरोसीन अपीलार्थी की मूल दुकान पर ही पूर्ण रूप से उपलब्ध था तथा स्टॉक रजिस्टर व पोस मशीन में स्टॉक प्रदर्शित किया हुआ था। यह केरोसीन संबंधित उपभोक्ताओ को वितरित किया जाना था। जिसकी सूचना जरिये दूरभाष जिला रसद अधिकारी को दी गई थी। यह तथ्य वक्त जांच निरीक्षण अधिकारियों तथा पुलिस जांच में भी निवेदन कर दिया था। जो केरोसीन जब्त किया गया है वह किसी प्रकार अवैद्य व स्टॉक में प्रदर्शित मात्रा से अधिक नहीं था। निरीक्षणकर्ताओं ने थोक विक्रेता केरोसीन से इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की न ही बयान लिये जिस कारण सही तथ्य व सत्यता स्पष्ट नहीं हो सकी। वर्तमान में राशन सामग्री का समस्त विकरण व स्टॉक आन लाईन उपलब्ध है। जिसमें क्या क्या व कितनी मात्रा में रसद सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण हेतु डीलर को दी गई है। खाद्य्य विभाग द्वारा प्रविष्टी की जाती है तथा किस उपभोक्ता को कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या राशन सामग्री किस दिनांक को किस समय उपलब्ध कराई गई पोस मशीन के माध्यम से खाद्य विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध रहती है जिसे कोई भी व्यक्ति बेबसाईट को खोल कर देख सकता है। वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं ने अपने बयान में निरीक्षण अधिकारियों को बयान दिये थे कि उन्हें पूर्ण सामग्री मिल जाती है। अपीलार्थी के राशन सामग्री वितरण से सन्तुष्ट है। उनके कथन पत्रावली में संलग्न है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने अपने जबाब के साथ उपभोक्ताओं के शपथ पत्र भी संलग्न किये थे। जिसमें उन्होंने कथन किया कि डीलर से पर्ची उपलब्ध होती है तथा मोबाईल पर भी उन्हें सूचना प्राप्त होती है। उपलब्ध कराये गये उपभोक्ताओं के शपथ पत्रों का सत्यापन नहीं किया गया। राशन सामग्री का वितरण पंचायत समिति के सदस्यों व वार्ड पंचो की मौजूदगी में ही किया जाता है। इसके साक्ष्य हेतु उपभोक्ताओं के शपथ पत्र ग्राम पंचायत के सदस्यों का पत्र जबाब के संलग्न किया गया है। वक्त निरीक्षण उपभोक्ताओं के बयान व उपभोक्ताओं के शपक्ष पत्रों के आधार पर बिन्दू संख्या 7 पर लगाये गये आरोप गलत होना प्रमाणित है। अपीलार्थी के विरूद्व जिला रसद अधिकारी ने जो एफ आई आर दर्ज करवाई है वह तथ्यों को बिना जांच गलत फहमी व अपूर्ण जांच के आधार पर दर्ज करवाई गई है। जबकि उपभोक्ताओं के शपथ पत्र व कथन जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताकीद नही करते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2019 से व्यथित हो कर यह अपील पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी की मूल उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सोठाना पर ग्राम विराटनगर की अस्थाई उचित मूल्य दुकान का 180 लीटर केरोसीन जयपुर आयल ट्रेडर्स थोक विक्रेता करोसीन ने आंधी व वर्षा आने पर गाडी खराब हो जाने के कारण मूल उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सोठाना पर उतार दिया। वक्त निरीक्षण निरीक्षण कर्ताओं को बताने पर भी उनके द्वारा थोक विक्रेता से कोई पूछताछ नहीं की गई। वक्त निरीक्षण निरीक्षण कर्ताओं को मजमें आम उपभोक्ताओ ने यह कथन किया कि उन्हें अपीलार्थी डीलर से राशन सामग्री बाबत कोई शिकायत नहीं है, उसके वितरण से सन्तुष्ट है। पूरी राशन सामग्री प्राप्त हो जाती है । वक्त निरीक्षण ग्राम पंचायत सोठाना तहसील विराटनगर की उचित मूल्य दुकान पर 507 लीटर केरोसीन पोस मशीन में दर्ज स्टॉक से अधिक मिलना बताया गया है वह उपभोक्ताओं के पुलिस बयान व शपथ पत्रों से उपभोक्ताओं का स्वयं का होना कथन [redacted] किया गया है जिसका उनके द्वारा सुविधानुसार उठाव करना अपने बयानों में माना है। वर्तमान में राशन सामग्री का समस्त वितरण व स्टॉक आन लाईन उपलब्ध है। जिसमें क्या क्या व कितनी मात्रा में रसद सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण हेतु डीलर को दी गई है। खाद्यय विभाग द्वारा प्रविष्टी की जाती है तथा किस उपभोक्ता को कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या राशन सामग्री किस दिनांक को किस समय उपलब्ध कराई गई पोस मशीन के माध्यम से खाद्य विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध रहती है जिसे कोई भी व्यक्ति ओन लाईन देख सकता है। इस प्रकार की की पारदर्शिता होने पर भी डीलर द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने का अरोप बेबुनियाद होना प्रमाणित है। निरीक्षण रिपोर्ट फर्द मौका दिनांक 30.08.2018, 31.08.2018 व 2.9.2018 की प्रति दी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही नोटिस संख्या 2106 दिनांक 6.9.2018 के संलग्न प्रेषित की गई । जबकि नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस आधार पर उक्त निरीक्षण दिनांक 30.08.2018, 31.08.2018 व 2.9.2018 सारहीन है और उस के आधार पर कोई मामला अपीलार्थी के विरूद्व नहीं बनता है। जैसा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 2008(2) ई एफ आर पेज 298 पर राजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी एण्ड अदर्स के पैरा 10 व 11 में प्रतिपादित किया गया है। निरीक्षणकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.08.2019 में माना है कि [redacted] गांव विराटनगर की अस्थाई सम्बद्व उचित मूल्य दुकान का 180 लीटर केरोसीन तेल ग्राम सोठाना तहसील विराटनगर की मूल उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध था तथा उचित मूल्य दुकान विराटनगर की पोस मशीन संख्या 17250 में स्टॉक दर्शाया हुआ था जो कि किसी भी प्रकार से कम नही था। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के कथन का सत्यापन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये फर्द मौका जब्ती दिनांक 31.08.2018 के पृष्ठ संख्या 3 से नहीं किया गया । इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उचित मूल्य दुकान पर बाहर स्टॉक बोर्ड व मूल्य सूची बोर्ड दीवार पर प्रिन्ट किया हुआ है जिस पर वांछित सूचनायें प्रतिदिन चौक मे प्रविष्टि कर प्रदर्शित की जाती है। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपने निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 31.08.2018 मे यह नहीं दर्शाया कि मूल्य स्टॉक सूची बोर्ड पर किन सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं था। उनके द्वारा उसकी फोटोग्राफी व नकल भी नहीं उतारी गई केवल फौरी तौर पर आरोप लगाया गया है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टैट बॉफ राजस्थान बनाम मिश्री ...

जिला कलक्टर
जयपुर

नोटिस बोर्ड पेश किया और न ही कोई अन्य तकनीकि प्रकिया अपनाई है। प्रवर्तन निरीक्षक ने दुकान पर उपलब्ध पोस मशीन के स्टॉक के अनुसार केरोसीन सही होने पर भी अवशेष केरोसीन स्टॉक तथा उपभोक्ताओं को वितरित केरोसीन को अधिक मानते हुय केरोसीन को जब्त कर लिया। जो कि वैद्यानिक रूप से गलत है। क्योंकि अजमे आम उपभोक्ताओं ने 507 लीटर केरोसीन निरीक्षणकर्ताओं को उनका होना कथन किया तथा अपने शपथ पत्र प्रस्तुत किये। उन उपभोक्ताओं को बुला कर कोई पूछताछ नही की गई और न ही शपथ पत्रों का सत्यापन किया । विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि यदि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन और उसमें दाण्डिक आदेश पारित नहीं किया जाता है तब तक अभियोगी का प्राधिकार पत्र निलम्बित नहीं किया जा सकता। 1990(1) ईएफआर 210 प्रकाश चन्द पाण्डे बनाम डिस्ट्रिक मजिट्रेट मैनपुरी एण्ड अदर्स एवं एआईआर 2008 इलाहाबाद 115 फुल बैंच बजरंगी तिवारी नाम कमिश्नर देवी पठान मण्डल गौंडा एण्ड अदर्श अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने एवं धरोहर राशि जब्त किये जाने के आदेश को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से सुयोग्य पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपलार्थी द्वारा दिया गया जबाब साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। डीलर का यह कहना कि उपभोक्ता बाद मे आकर केरोसीन ले जायेगे किसी भी रूप में विश्वसनीय नही है। है। डीलर द्वारा माह अगस्त 2018 में आवंटित 600 लीटर केरोसीन के विपरीत पोस मशीन द्वारा जांच होने तक 507.50 लीटर केरोसीन का वितरण होने के बावजूद भी 576 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को दिये बिना पोस मशीन से गेहूं देते समय दिया जाना दर्शाया गया जबकि वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं को दिया ही नहीं जिसे मौके पर जब्त किया गया है।शेष आरोपों के बारे में भी उसका जबाब तर्क संगत नही है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 2, 5, 6,7 10, 11, व 17 सी का उल्लंघन किये जाने का दोषी पाये जाने के कारण उसकी धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत व उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एव उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी के पास दौराने निरीक्षण उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सोठाना के साथ साथ विराटनगर कस्बे की वार्ड संख्या 1, 5, 6, 15 व 20 उचित मूल्य दुकान का अतिरिक्त चार्ज भी था। अपीलार्थी डीलर की दोनो उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने पर दोनों जगह गेहूं का स्टॉक सही पाया गया है। मूल उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सोठाना पर माह अगस्त 2018, में आवंटित 600 लीटर केरोसीन के विपरीत मौके पर 776 लीटर केरोसीन पाया गया है। सम्बद्व उचित मूल्य दुकान विराटनगर का 180 लीटर केरोसीन भी शामिल है, जो सोठाना स्थित दुकान पर

जिला कलक्टर
जयपुर

प्राप्त नहीं किया गया। डीलर के पास 507 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया है, जिसे अपीलार्थी डीलर ने उपभोक्ताओं का होना बताया है। पुष्टि में संबंधित उपभोक्ताओं के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। जिला रसद अधिकारी द्वारा किसी भी शपथ पत्र प्रस्तुतकर्ता को तलब कर शपथ पत्र की ताईद नहीं की गई है। जबकि पुलिस द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के तहत उपभोक्ताओं के लिये गये बयानों मे भी अधिक पाया गया केरोसीन उपभोक्ताओं ने स्वयं का होना बताया है। ग्राम पंचायत सोठाना ने भी उपभोक्ताओं के कथन की पुष्टि की है। जिला रसद अधिकारी द्वारा इन सब तथ्यों एवं परिस्थितियो की कोई जांच नहीं की गई है। बिना तथ्यों की जांच के डीलर को दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। मूल्य सूची व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड दीवार पर पेन्ट कराया होना एवं उस पर चोक से इन्द्राज किया जाना बताया है। अपीलार्थी के इस कथन की जांच किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व एफ आई आर दर्ज कराई गई है। न्यायिक दृष्टान्त 1981 EFR 469 Or 1990 (1) EFR 2010 प्रकाश चन्द पाण्डे बनाम डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट मैनपुरी व अन्य में विनिश्चय किया गया है कि यदि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन है ओर उसमें दण्डादेश पारित नही किया गया है तो, तब तक डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में 1988 EFR 475, AIR 2018 (Noc) 231 (पटना), AIR 1996 आन्ध्र प्रदेश 1985, RLW 1990 (1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मिश्री लाल (65), S.C. of India Civil Appeal No. 828 of 2009, 1989 Cr.l.r (Raj) एवं AIR 2008 इलाहाबाद 115 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2019 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि 1000/–अक्षरे एक हजार रूपये बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।
9. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।
10. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुना गया ।

(जगरूप सिह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर